

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

ई-निविदा



2017-2018

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में
रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी
नियंत्रण) हेतु ई-निविदा (तृतीय आमंत्रण)

निविदा क्रमांक-20 / 2017-18

कीमत रु. 2000 /-
(रूपये दो हजार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञप्ति क्र. 20 / 2017-18

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	31-07-2017 10:30 AM	13-08-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	31-07-2017 10:30 AM	13-08-2017 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	31-07-2017 10:30 AM	16-08-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	17-08-2017 12.30 PM	-	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	17-08-2017 12.35 PM	-	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचित किया जावेगा।	-	TO BE OPENED ONLINE

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 16.08.2017 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई-मेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, 9179705483, 9302820764

निविदा प्रस्तुत करनें संबधी सामान्य निर्देश:-

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सीलड लिफाफे ए, बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सीलड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 25000/- (पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 (एसेसमेंट ईयर 15-16 एवं 2016-17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
3. कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र।
4. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
5. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति (यदि लागू हो)।
8. ई.पी.एफ. पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति।
9. ई.एस.आई.सी. पंजीयन की सत्यापित प्रति।

ई-निविदा हेतु नियम एवं शर्तें

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण) हेतु वर्ष 2017-18 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर क्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकता है।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्य करने का मूल्य रु. 2000.00 (दो हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रुपये 25000/- (पच्चीस हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। अमानत राशि पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के संपूर्ण भवनों में चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खियों को पूर्णतः नियंत्रित करने का कार्य करना होगा।
6. मधुमक्खियों के उन्मूलन हेतु छत्तो को हटाया जाना, मधुमक्खियों का दोबारा जमा ना होने देना, मरीजों एवं उनके परिजनों तथा स्टाफ तथा स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्य कुशलता से एवं फूलप्रूफ मैथड एवं पर्यावरण तथा पूर्णतः सुरक्षित विधि से किया जाना है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
7. चूहों एवं काकरोच के उन्मूलन हेतु वार्डों में, कृत्रिम छतों के अन्दर, वातानुकूलित वेंट के अन्दर, शौचालयों, शवगृह, आकस्मिक चिकित्सा विभाग तथा बाह्य रोगी चिकित्सा विभाग, महाराजा प्राइवेट वार्ड, किचन, स्टोर्स, कार्यालयीन भवनों, चिकित्सालय परिसर में नालियों से सम्पूर्ण उन्मूलन एवं नियंत्रण करना सम्मिलित होगा।
8. रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण) के उपयोग में होने वाले केमिकल की समस्त जानकारी एवं चेतावनी पूर्व में देनी होगी इसे सुरक्षित जगहो पर रख कर इनका उन्मूलन कराया जावे। यह सावधानी बरतनी होगी कि मरीजों/परिजनों/कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ को कोई हानि न हो। यह कार्य निविदाकार को सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराना होगा।
9. निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 (एसेसमेंट ईयर 15-16 एवं 2016-17) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. कार्य हेतु संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, परिचय पत्र प्रमाणीकरण संलग्न करना होगा। निविदादाता को प्रचलित श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. उपरोक्त कार्य हेतु लगने वाले उपकरणों/दवाइयों/सामग्रियों का वित्तीय भार निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
12. निविदाकर्ता द्वारा जो दर टेन्डर फार्म में अंकित की जावेगी वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों आदि को मिलाकर होना चाहिये।
13. उपरोक्त कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। कार्य के दौरान अथवा उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना हेतु चिकित्सालय/महाविद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार्य होगा।
14. फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज, चिकित्सालय में भर्ती मरीजों स्टाफ/अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि एवं चोरी होने पर फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी अमानत राशि फर्म के देयक की राशि में से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। यदि किसी प्रकार की हानि मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सालयों को नहीं होती है तो उस स्थिति में फर्म को उक्त राशि समयावधि के पश्चात् मूलतः वापिस की जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। फर्म से स्रोत पर आयकर नियमानुसार कटौती योग्य होगा।
15. सभी विवादों के निपटारे हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सामहाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का होगा।
16. यदि स्वीकृत निविदादाता के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्यायिक क्षेत्र रीवा होगा।
17. निविदाकार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के संबंध में समस्त वैधानिक एवं वित्तीय सभी प्रकार की जवाबदेही निविदाकार की होगी।
18. तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही मूल्य बोली (प्राइस बिड) खोली जावेगी।
19. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी रहेंगी। तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
20. प्राप्त निविदाओं को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को होगा।
21. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार स्वयं के खर्च पर निर्धारित रु. 1000/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लाकर इकरारनामा सात दिन के अन्दर लिखित रूप में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा जिस पर दोनो पक्षकों के हस्ताक्षर होंगे, प्रस्तुत करना होगा।

22. निविदादाता को निविदा की शर्तों के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।
23. चूहा,काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण में लगे कर्मचारी चिकित्सालय में किसी प्रकार का गैरकानूनी कार्य नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
24. निविदाकार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या भर्ती मरीजों व उनके परिजनों के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मियों को हटाना या गंभीर प्रकरण में ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा तथा अमानत राशि की पूरी अथवा अंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।
25. निविदाकार द्वारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
26. आनलाईन निविदा फार्म क्रय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
27. ठेका अवधि में निविदाकार किसी अन्य व्यक्ति को कार्य हेतु ठेका नहीं दे सकता है।
28. प्राइस बिड केवल आनलाईन ही भरी जावे।
29. ठेका अवधि 01 वर्ष की होगी। प्रथमतः कार्य आदेश 03 माह के लिए जारी किया जावेगा, कार्य संतोषजनक होने पर ठेका की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसी अवधि में सफल निविदाकार को कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने के उपरांत देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
30. निविदाकार निविदा डालने से पूर्व संपूर्ण चिकित्सालय भवन का अवलोकन कर सकते हैं। दरें संपूर्ण भवन के लिए हैं। यह दर एकमुश्त होगी। वर्गफुट/वर्गमीटर में दरें स्वीकार योग्य नहीं होंगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

चूहा,काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी का नम्बर विवरण	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें) निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी:-

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे । पृष्ठ क्र. दर्शाये		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे ।	
		हां	नही	हां	नही
1.	मूल ई-निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित ।				
2.	धरोहर राशि रूपये 25000.00 (पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम				
3.	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 (एसेसमेंट ईयर 15-16 एवं 2016-17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
4.	कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र ।				
5.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
6.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति ।				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति ।				
8.	ई.पी.एफ. पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति ।				
9.	ई.एस.आई.सी. पंजीयन की सत्यापित प्रति ।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा
के परिसर मे रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण) हेतु
रेट सूची (केवल आनलाईन भरी जावे)

मैं/हम (फर्म) गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के संपूर्ण भवन एवं परिसर में निम्नानुसार चूहा, काकरोच, मधुमक्खी नियंत्रण हेतु निविदा शर्तों को मान्य करते हुए निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूं।

क्रमांक	विवरण	मासिक दर	त्रैमासिक दर	वार्षिक दर
1.	चूहा नियंत्रण			
2.	काकरोच नियंत्रण			
3.	मधुमक्खी नियंत्रण			
4.	कर की राशि			
5.	कुल			

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेंगे।

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा

विषय:— गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण) हेतु ई-निविदा। (तृतीय आमंत्रण)

श्रीमान,

विषयान्तर्गत हम/मैं गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में रोडेन्ट एवं पेस्ट कन्ट्रोल (चूहा, काकरोच एवं मधुमक्खी नियंत्रण) हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। मुझे निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी शर्तें स्वीकार हैं।

1. निविदाकार का पूरा नाम
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
4. पिता का नाम
5. पत्राचार का पता
6. स्थायी पता
7. Telephone no -
Office-
Fax -
8. E-Mail Address-
9. Bank Account No.-
10. Branch/IFSC Code-

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

—घोषणा—पत्र—

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
8. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
9. राज्य शासन/केन्द्र शासन का कोई भी कर भुगतान हेतु बकाया नहीं है।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

2. गवाह का नाम.....